न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 37/2015

प्रार्थीः–
जगदीश पुत्र बींजाराम जाति भाट निवासी आकेली तहसील पाली

बनाम

अप्रार्थीगणः–
1. मृतक भीवाराम पुत्र सोनाराम जाति भाट निवासी आकेली के का0मु0
1/1 नारायणलाल पुत्र भीवाराम
1/2 घीसूलाल पुत्र भीवाराम
1/3 पारसराम पुत्र भीवाराम
1/4 किशनलाल पुत्र भीवाराम
1/5 दाकु पत्नि भीवाराम
2. ग्राम पंचायत बोमादडा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी : 38/2015

प्रार्थीः–
जगदीश पुत्र बींजाराम जाति भाट निवासी आकेली तहसील पाली

बनाम

अप्रार्थीगणः–
1. कन्हैयालाल पुत्र किस्तूर जाति भाट निवासी आकेली तहसील पाली
2. ग्राम पंचायत बोमादडा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री भैरूसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5/10/17

प्रार्थी ने पृथक पृथक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बोमादडा द्वारा मिसल संख्या 8/1971–72 संकल्प ... संख्या 23.01.1977 तथा पट्टा संख्या 8 दिनांक 31.03.1977 तथा मिसल संख्या 45/2002 संकल्प संख्या 3 (6) दिनांक 20.06.2002 तथा पट्टा संख्या 161 दिनांक 20.06.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। चूंकि दोनो ही पत्रावलीयों में विवादित भूमि, गांव एवं पंचायत समान होने से प्रकरणों को club किया जाकर एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी भीवाराम व कन्हैयालाल के नाम विधि विरूद्ध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। जेर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 233 व 236 की भूमि में जारी किया गया है, जो आबादी भूमि न होकर कृषि भूमि है। ग्राम पंचायत को कृषि भूमि पर पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नही है। दिनांक 18.12.1973 को मिसल कायम की गई, जबकि न तो आवेदन शुल्क जमा करवाया तथा न ही नक्शा शुल्क प्राप्त किया।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत नही किया तथा न ही पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया गया। तमाम कार्यवाही मिलावटी रूप से की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से अधिक क्षैत्रफल का पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना प्रस्ताव लिये, बिना कोरम पूर्ण हुए जैर निगरानी पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कब्जे की भूमि पर 51/– रूपये की रसीद पर पट्टा जारी किया गया है, जबकि विधिवत नीलामी के जरिये बोली लगाकर बाजार मूल्य से पट्टा जारी करने के प्रावधान है। इसी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.06.2002 को कन्हैयालाल पुत्र किस्तूर जी जाति भाट के नाम जारी किया गया है। प्रथमतः जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध रूप से कृषि भूमि पर जारी किया गया है, जबकि इसी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 161 जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे तथा ग्राम पंचायत बोमादडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 31.03.1977 एवं इसी भूमि पर दुबारा जारी पट्टा संख्या 161 को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है, जिस पर अप्रार्थी का पक्का निर्माण है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नही है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अप्रार्थी भीमाराम पुत्र सोनाराम जाति भाट द्वारा दिनांक 18.12.1973 को सरपंच ग्राम पंचायत बोमादडा के समक्ष आवेदन पत्र व नक्शा प्रस्तुत कर अपने कब्जासुदा बाडे का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 8 कायम की गई। इसके पश्चात उक्त मिसल दिनांक 9.11.1976 को प्रस्तुत होने पर 3 पंचों को मौका निरीक्षण हेतु आदेश दिये गये, किन्तु उक्त 3 पंच कौन थे ? इसका कहीं भी अंकन नही है। दिनांक 09.01.1977 को 3 पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये गये। कानूनन पट्टा जारी किये जाने हेतु अन्तरिम निर्णय पारित कर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया जाना आज्ञापक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित होने के 15 दिवस के पश्चात ही नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से 51/– रूपये प्राप्त कर अप्रार्थी भीवाराम के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। नियम 266 के अन्तर्गत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान वर्णित है। जिसके उप नियम (घ) के अनुसार जहां किन्ही व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है, वहां विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई और जहां कब्जा 40 वर्षो से अधिक का है, वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जावेगा।" प्रकरण में स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 भीमाराम ने अपने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि "मै पूर्व में पहले अपने ससुराल रामासिया में रहता था, अब मैं वहॉ नही रहना चाहता हूँ।" इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही था। इससे अप्रार्थी संख्या 1 नियम 266 के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र ही नही था। इस कारण आपसी बातचीत के स्थान पर जरिये नीलामी भूखण्ड दिया जा सकता था। इस प्रकार जैर निगरानी प्रकरण में विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए जैर

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता है।

प्रकरण का मुख्य आधार यह लिया गया है कि जिस भूमि पर पट्टे जारी किये गये है, वह भूमि खसरा नम्बर 233 व 236 की भूमि है, जो आबादी की न होकर कृषि भूमि है। इस हेतु तहसीलदार पाली से जांच करवाई गई। तहसीलदार पाली ने प्रकरण में दो भिन्न भिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट जो दिनांक 03.08.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत की, उसमें जाहिर किया कि "उपरोक्त मुकद्दमा में पक्षकारान का कोई विवाद नही है एवं न ही माप चौक करने की आवश्यकता है एवं पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है।" इस प्रकार न तो पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना की तथा न ही स्वयं तहसीलदार ने पालना की, इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा न्यायालय को निर्देश प्रदान करने की हिमाकत की कि उपरोक्त मुकद्दमें में अब कोई विवाद नही है एवं न ही नाप चौक की आवश्यकता है। इस प्रकार तहसीलदार पाली एवं पटवारी हल्का आकेली द्वारा न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों की स्पष्टतः अवहेलना की। इसके पश्चात द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 07.09.2017 को प्रस्तुत की, जिसमें जाहिर किया कि ग्राम आकेली के खसरा नम्बर 232 किस्म गै0मु0 आबादी, खसरा नम्बर 233 किस्म गै0मु0 रास्ता एवं खसरा नमबर 236/1 किस्म गे0मु0 भाकर की भूमि है। जैर निगरानी पट्टे में उक्त तीनों खसरा नम्बरान की भूमि समाहित होती है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टे विशुद्ध रूप से मात्र आबादी भूमि में न होकर रास्ते एवं भाकर की भूमि को सम्मिलित करते हुए जारी किये गये है। इसके साथ ही तहसीलदार पाली ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया कि इसी भूमि पर अप्रार्थी भीवाराम को भी पट्टा जारी किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा एक ही भूमि पर उपरोक्त दोनो पट्टे जारी किये गये है तथा वह भूमि पूर्ण रूप से आबादी की न होकर सिवायचक एवं रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए जारी किये गये है, जिसके लिये ग्राम पंचायत सक्षम नही है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये गये है, जो किसी भी रूप में न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बोमादडा द्वारा द्वारा मिसल संख्या 8/1971–72 संकल्प ... संख्या 23. 01.1977 तथा पट्टा संख्या 8 दिनांक 31.03.1977 एवं मिसल संख्या 45/2002 संकल्प संख्या 3 (6) दिनांक 20.06.2002 तथा पट्टा संख्या 161 दिनांक 20.06.2002 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण में पटवारी हल्का आकेली एवं तहसीलदार पाली द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने के कारण इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (अपील, नियन्त्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1958 के नियम 17 तहत कार्यवाही हेतु भू0अ0 एवं संस्थापन शाखा को इस निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति संबंधित पत्रावलियों में सलंग्न हो। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत बोमादडा का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली